



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 246]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 15 जून 2016—ज्येष्ठ 25, शक 1938

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जून 2016

क्र. एफ 12-11-2016-4-पचीस.—राज्य शासन, एतद्वारा, प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक और आर्थिक उत्थान और सामाजिक समरसता का वातावरण निर्मित करने वाले सर्वश्रेष्ठ समाजसेवी को पुरस्कृत करने के लिए निम्नानुसार नियम निर्मित करता है:—

1. नाम.—यह नियम मध्यप्रदेश संत रविदास सामाजिक समरसता पुरस्कार नियम, 2016 कहलायेंगे। ये नियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में राज्य शासन द्वारा राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2. (अ) अनुसूचित जाति वर्ग से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश के लिये घोषित अनुसूचित जाति वर्ग की जातियों की सूची से है।

(ब) मध्यप्रदेश निवासियों से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन द्वारा मूलनिवासियों को पात्रता हेतु निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने वाले व्यक्ति से है।

(स) जूरी से अभिप्राय इन नियमों के अंतर्गत गठित निर्णायिक मण्डल से है।

3. पुरस्कारों का स्वरूप.—मध्यप्रदेश संत रविदास सामाजिक समरसता पुरस्कार रूपये 2.00 लाख नगद एवं प्रशंसा पटिका के रूप में दिया जायेगा। पुरस्कार मध्यप्रदेश राज्य के निवासी तथा राज्य में अनुसूचित जाति के हितों में उत्कृष्ट कार्य एवं सेवा करने वाले सभी वर्ग के समाज सेवकों को हर वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त जूरी की ओर से चयन करने पर दिया जायेगा। उक्त पुरस्कार की नगद राशि एकाधिक व्यक्तियों के मध्य विभाजित भी हो सकती है।

4. जूरी का गठन.—राज्य शासन विभिन्न कार्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले नागरिकों में से प्रतिष्ठित समाज सेवा, प्रशासक अथवा अन्य नागरिकों में से कम से कम तीन और अधिक से अधिक 5 सदस्यों को जूरी (निर्णायिक मण्डल) का गठन करेगा जिसका स्वरूप निम्नानुसार होगा:—

1. माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग—अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग—सदस्य

3. तीन अशासकीय सदस्य (प्रतिष्ठित समाजसेवी, प्रशासक अथवा अन्य नागरिक) माननीय मंत्री जी द्वारा मनोनीत किये जायेंगे। इनमें दो अनुसूचित जाति और एक गैर अनुसूचित जाति के होंगे।
4. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास—सदस्य सचिव।
5. जूरी की शक्तियां,—
 - (1) प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिये अलग-अलग जूरी गठित की जावेगी।
 - (2) जूरी के द्वारा किया गया चयन अंतिम और शासन के लिये बंधनकारी होगा।
 - (3) पुरस्कार के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जायेगी।
 - (4) संबंधित पुरस्कार वर्ष के लिये प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा भी जूरी अपने स्वविवेक से ऐसे किसी नाम/किन्हीं नामों पर विचार कर सकेगी। जिन्हें पुरस्कारों के उद्देश्यों के अनुरूप पायें।
 - (5) सामान्यतः प्रत्येक वर्ग के पुरस्कार के लिये एक ही समाजसेवी का चयन होगा किन्तु जूरी यदि आवश्यक समझेगी तो वह एक पुरस्कार के लिए एक से अधिक समाजसेवियों का चयन कर राशि समानुपातिक रूप से प्रदान की जायेगी।
 - (6) जूरी के सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिये आमंत्रित किये जाने पर उन्हें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड ए के समकक्ष वायुयान/रेल यात्रा की श्रेणी में यात्रा की पात्रता होगी तथा इस हेतु यात्रा भत्ता दिया जायेगा।
6. चयन की प्रक्रिया—पुरस्कारों के लिये उत्कृष्ट समाज सेवियों के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी—
 - (1) जिस वर्ष के लिये पुरस्कार प्रदान किया जाना है, उस वर्ष की प्रविष्टियाँ आमंत्रित करने हेतु आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास द्वारा अप्रैल माह में प्रमुख राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा। प्रविष्टियाँ प्रस्तुत करने के लिये विज्ञापन की तिथि से एक माह का समय दिया जायेगा।
 - (2) प्रविष्टि निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जायेंगी:—
 - (क) सामाजिक कार्यकर्ता का पूर्ण परिचय।
 - (ख) निर्दिष्ट अनुसूचित जाति वर्गों के उत्थान के लिए उसके द्वारा किये गये सेवा कार्यों की विस्तृत जानकारी।
 - (ग) यदि कोई अन्य पुरस्कार मिला हो तो उसका विवरण।
 - (घ) उत्कृष्ट सेवा कार्य के विषय में कोई प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ हो तो उसका विवरण एवं प्रकाशित प्रत्येक प्रतिवेदन की एक-एक प्रतिलिपियाँ।
 - (ङ) चयन होने की दशा में पुरस्कार ग्रहण करने के बारे में संबंधित समाजसेवक की सहमति।
 - (अ) एक बार प्रस्तुत प्रविष्टियाँ तीन वर्ष तक विचारणीय होगी। तीन वर्ष से संबंधित सेवा के लिये कई प्रविष्टियाँ देना आवश्यक नहीं होगा किन्तु उपनियम (1) में प्रविष्टियाँ प्रस्तुत करने हेतु निहित अवधि में संबंधित समाज सेवक पूरक या अतिरिक्त विषय वस्तु विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहे तो समय-सीमा में प्राप्त इस प्रकार की पूरक अथवा अतिरिक्त विषय वस्तु विचारार्थ ग्राह्य होगी।

- (ब) एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित समाज सेवा की सेवा कार्य पुरस्कार के योग्य नहीं हैं। निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करने वाले ऐसे समाज सेवी जो तीन वर्षों की विचारणीय अवधि में पुरस्कार के लिये चयन नहीं हो सके हैं आगामी वर्षों में पुनः प्रविष्टि प्रस्तुत कर सकेंगे।
- (स) प्रविष्टि में अन्तर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार एवं पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- (द) प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा परन्तु राज्य शासन को एकाधिकार होगा कि जहां वह आवश्यक समझे अपने सूत्रों से दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों के संबंध में पुष्टि कर सकेंगे।

7. चयन के मापदण्ड.—(1) पुरस्कार के लिये जूरी द्वारा उन नागरिकों का चयन किया जा सकेगा जो मध्यप्रदेश राज्य के निवासी हो एवं मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग की सेवा की हो।

(2) जूरी के अशासकीय सदस्य—अपने लिये उस वर्ष के पुरस्कार के लिये प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे जिस वर्ष में पुरस्कार दिया जा रहा है।

(3) समाजसेवी के संबंध में इस पुरस्कार के अलावा अन्य कोई पुरस्कार प्राप्त समाजसेवी भी मध्यप्रदेश संत रविदास सामाजिक समरसता पुरस्कार के लिये प्रविष्टि भेजने के पात्र होंगे।

(4) शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय वेतन भोगी व्यक्ति पुरस्कार के लिये पात्र नहीं होंगे।

(5) सेवाकार्य मध्यप्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग से ही संबंधित होना चाहिये।

(6) पुरस्कार के लिये भूतकालक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के सेवा कार्यों का आंकलन आवश्यक है और सेवा कार्य में समाजसेवी की सक्रियता निरन्तर रहना आवश्यक है।

(7) समाजसेवी को इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग की दीर्घकालिक सेवा की है तथा वे अब भी इस क्षेत्र में सक्रिय हैं अर्थात् पुरस्कार केवल भूतकालिक सेवा उपलब्धियों के आधार पर नहीं मिलेंगे। सेवा के क्षेत्र में परिणाममूलक निरंतरता आवश्यक है।

(8) पुरस्कार चूंकि समाजसेवी के समग्र योगदान के आधार पर दिया जावेगा, इसलिये सेवा कार्य में ऐसे व्यक्ति को, एक व्यक्ति के रूप में किये गये योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होने चाहिये।

(9) सेवा के क्षेत्र में समाजसेवी के योगदान का संबंधित क्षेत्र/वर्ग में व्यापक प्रभाव परिलक्षित होना चाहिये।

(10) परम्परागत तरीकों से अलग हटकर सेवा के क्षेत्र में नवाचार (Innovation) अर्थात् नई पद्धति/नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया है।

(11) किसी स्वैच्छिक संस्था से संबंद्ध समाजसेवी के उसी कार्य को पुरस्कार के लिये विचार में लिया जावेगा जिस कार्य से समाजसेवी सीधे तौर पर जुड़े हुए थे और अब भी हैं, संस्था की समस्त सेवा उपलब्धियों का समाजसेवी के हित में आंकलन नहीं होगा।

8. पुरस्कारों की घोषणा—जूरी द्वारा जिन समाजसेवियों का चयन होगा उनके बारे में शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में औपचारिक सहमति प्राप्त की जावेगी। उनसे सहमति प्राप्त होने के पश्चात् राज्य शासन द्वारा राज्य पुरस्कार के लिये चयनित समाजसेवी/सेवियों के नामों की औपचारिक घोषणा की जावेगी। विभागीय वेबसाईट पर भी प्रकाशित किये जायेंगे।

9. अलंकरण समारोह.—पुरस्कारों का राज्य स्तरीय अलंकरण समारोह शासन द्वारा प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति वर्ग के सम्मान स्वरूप संत रविदास स्मृति दिवस के आयोजन के अवसर पर आयोजित होगा जिसमें भाग लेने के लिये चयनित समाजसेवियों को राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में अपनी सहायता के लिये केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे जिसे उन्हीं के साथ यात्रा करने एवं ठहरने की सुविधा प्राप्त होगी लेकिन उन्हें यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। समाजसेवी को शासन के बरिष्ठ स्तर के अधिकारी ग्रेड-ए के समकक्ष रेल अथवा वायुयान से यात्रा की पात्रता होगी एवं प्रथम श्रेणी अधिकारी ग्रेड-ए के समान यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी।

10. व्यय की सम्पूर्ति एवं वित्तीय शक्तियां.—मध्यप्रदेश संत रविदास स्मृति सेवा राज्य पुरस्कार एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिये बजट में हर वर्ष समुचित वित्तीय प्रावधान रखा जावेगा।

11. नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन.—अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को इन नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार होगा।

12. पुरस्कार से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव.—आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास विभाग, मध्यप्रदेश प्रतिवर्ष के पुरस्कार की प्रविष्टियों, चयनित समाजसेवियों आदि का रिकार्ड वर्षवार के लिये एक अलग-अलग जिल्द में संधारित करेंगे। चयनित समाजसेवी के जीवन चरित्र, सेवा कार्य आदि के संबंध में समारोह के समय एक विवरणिका जारी की जावेगी जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग समाज सेवा पुरस्कार के उद्देश्य, स्वरूप तथा पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति/व्यक्तियों के अद्यतन विवरण दिये जावेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक शाह, प्रमुख सचिव।